

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 08/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) आवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 पल्लोर साउथ एण्ड रक्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. शिवदत्त जाट केयर ऑफ श्री बालु राम,  
पता - 111, तिवारी मोहल्ला, छापुरा खुर्द, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर एवं श्याम कॉलोनी, खसरा न. 3960, वार्ड न. 015, शाहपुरा, जयपुर।
2. श्री रमेश चन्द जाट केयर ऑफ श्री शिवदत्त जाट,  
पता - वार्ड न. 05, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
3. श्री धर्मेन्द्र कुमार टोकास केयर ऑफ रमेश कुमार टोकास,  
पता:- 111, तिवारी मोहल्ला, छापुरा खुर्द, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. अशोक कुमार केयर ऑफ शिवदत्त जाट,  
पता - 99 जी. तिवारी मोहल्ला, छापुरा खुर्द, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
5. श्रीमती बिदामी देवी केयर ऑफ शिवदत्त जाट,  
पता - 99 जी. तिवारी मोहल्ला, छापुरा खुर्द, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
6. श्री शिवदत्त पलसानीया केयर ऑफ रामसहाय पलसानीया,  
पता - वार्ड न. 1, ढाणी पटवारी वाली, तिवारी मोहल्ला, तहसील शाहपुरा, जयपुर।



अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 01.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती बिदामी देवी केयर ऑफ शिवदत्त जाट के स्वामित्व की संपत्ति श्याम कॉलोनी, खसरा न. 3960, वार्ड न. 015, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 300 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 31.03.2016 को राशि 05,00,000/- रुपये, दिनांक 06.05.2015 को राशि 08,00,000/- रुपये, कुल राशि 13,00,000.00/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (आजीए)



application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 13,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 5,81,108.00/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.10.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती बिदामी देवी केयर ऑफ शिवदत्त जाट के स्वामित्व की बंधक संपत्ति श्याम कॉलोनी, खसरा न. 3960, वार्ड न. 015, शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 300 वर्गगज क्षेत्रफल 110 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 01.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



म.क.  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(जयपुर ग्रामीण)